



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 10 दिसम्बर, 2014 ई0

अग्रहायण 19, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 337/XXXVI(3)/2014/86(1)/2014

देहरादून, 10 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद विधेयक, 2014” पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 27 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् के गठन और उससे सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों के विनियमन के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् अधिनियम, 2014 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
(क) "परिषद्" से धारा 3 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् अभिप्रेत है;
(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;
(घ) "सदस्य" से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी है;
(ङ) "विधान सभा" से उत्तराखण्ड की विधान सभा अभिप्रेत है।

राज्य अवस्थापना विकास परिषद् का 3
गठन तथा उसका क्षेत्राधिकार

- (1) राज्य सरकार उपधारा (2) में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए राज्य अवस्थापना विकास परिषद् (जिसे यहां आगे परिषद् कहा गया है) ज्ञात नाम से स्थापित कर सकेगी।
(2) परिषद् का क्षेत्राधिकार ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 4.
सदस्य

- (1) राज्य सरकार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परिषद् का अध्यक्ष तथा एक सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार परिषद में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी—

(क) अवस्थापना विकास आयुक्त— सदस्य—सचिव

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त— पदेन सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन— पदेन सदस्य

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, विधि एवं न्याय— पदेन सदस्य

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण— पदेन सदस्य

परन्तु यह कि राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, नियुक्त कर सकेगी;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त उपधारा (2) में उल्लिखित सदस्यों के इतर विषयों के लिए सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिभाग कर सकेंगे।

(3) परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विधान सभा सदस्य के रूप में उसकी कार्यावधि की तारीख तक होगी।

(4) परिषद के सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद की बैठकें, गणपूर्ति तथा अन्य 5. विषयों का विनियमन

(1) परिषद की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें होंगी और परिषद का अध्यक्ष देहरादून में बैठक आहूत करने के लिए अधिकृत होंगे।

परन्तु यह कि परिषद का अध्यक्ष आवश्यकतानुसार राज्य के अन्य स्थानों पर भी बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(2) परिषद की बैठकों की गणपूर्ति तथा अन्य विषयों का विनियमन ऐसे होगा, जैसा नियमों में विहित किया जाय।

(3) परिषद की बैठकों के आयोजन का नोटिस तथा उसका कार्यवृत्त सदस्य—सचिव के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जायेगा।

परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर 6. सरकारी सदस्यों का वेतन एवं भत्ते

परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का वेतन तथा भत्ते एवं अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर 7. सरकारी सदस्यों को हटाया जाना

राज्य सरकार परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय, से उनके पदों से हटा सकेगी।

- परिषद के आय-व्ययक तथा अन्य 8. परिषद के आय-व्ययक एवं लेखों का रखरखाव तथा उनकी लेखों का रखा जाना तथा उनकी लेखापरीक्षा की रीति ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।
- नियम बनाने की शक्ति 9. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी।
(2) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को उसके बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।
- निरसन एवं व्यावृत्ति 10. (1) उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या 05 वर्ष 2014) एतद्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 337/XXXVI(3)/2014/86(1)/2014

Dated Dehradun, December 10, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand State Infrastructure Development Board Bill, 2014' (Adhiniyam Sankhya 27 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 December, 2014.

THE UTTARAKHAND STATE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

Act 2014

(THE UTTARAKHAND Act No. 27 of 2014)

to establishment the Uttarakhand State Infrastructure Development Board and for matters connected therewith or incidental thereto

An

Act

Be it enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand State Infrastructure Development Board Act, 2014.
- (2) it extends to the whole of State of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force at once.

Definitions

2.

In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Board" means the Uttarakhand State Infrastructure Development Board constituted under section 3,
- (b) "Prescribed" means prescribed by the rules under this Act.
- (c) "Government" means the Government of the Uttarakhand;
- (d) "Member" means member of the board and include its chairman,
- (e) "Legislative Assembly" means Legislative Assembly of the Uttarakhand.

Constitution of the State Infrastructure Development Board and its jurisdiction.

3. (1) There shall be established a State Infrastructure Development Board (hereinafter referred as Board) for the purpose of mentioned jurisdiction in sub section (2).

Chairman, Vice- chairman and members of the Board

(2) The jurisdiction of the Board shall be such as may be prescribed by the State Government.

- 4: (1) The State Government may make appoint a Chairman and a Vice-chairman amongst from the elected members of the Legislative Assembly.
- (2) The State Government may make nominate the following members in the Board.

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (a) | Infrastructure Development Commissioner | Member Secretary |
| (b) | Principal Secretary / Secretary finance | Ex officio member |
| (c) | Principal Secretary / Secretary planning | Ex officio member |
| (d) | Principal Secretary / Secretary Law and LR | Ex officio member |
| (e) | Principal Secretary / Secretary Forest and environment | Ex officio member |

Provided that the State Government may make appoint non Governmental members which numbers shall not more than three in special circumstances,

Provided further that for the different matters the Principal Secretary/Secretary of the concerning department may make participate as a invitee members in additions to the members mentioned in aforesaid sub-section (2).

- (3) The tenure of the Chairman and Vice- chairman from the date of resuming his duties shall be date of his tenure as a Legislative Assembly member.
- (4) The tenure of the members of the Board shall be such as may be prescribed.

Meetings, quorum 5. and regulation of other matters of the Board

(1) There shall be minimum three meetings conducted by the Board in a year and the Chairman of the Board shall authorized conducted a meeting in Dehradun,

Provided that as per necessity, the Chairman may make summon meeting in other places of the State.

- (2) The quorum of the meeting and regulation of other matters shall be such as may be prescribed.
- (3) The notice of the meetings and the minutes of Board shall be countersigned with the signature of the Member -Secretary.

Pay and allowance 6. of the Chairman, Vice-Chairman and non Governmental members

The pay and allowance and other terms of the Chairman, Vice- Chairman and non Governmental members shall be such as may be prescribed by the Government.

Removal of the 7. Chairman, Vice-Chairman and non Governmental members

The State Government may make remove of his post of the Chairman, Vice-Chairman and non Governmental members in such manner and in such terms as may be prescribed by the State Government.

Maintenance of the 8. Budget and other accounts of the Board and audit

The Budget and maintenance of the account of the Board and manner of audit shall be such as may be prescribed by the State Government.

Power to make 9. rules

- (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) Rules made by the State Government shall as soon as may be after it is made, be laid before the State Assembly.

Repeal and Saving

10

(1) The Uttarakhand State Infrastructure Development Board Ordinance, 2014 (Ordinance no 05 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.